हर कदम, हर डगर
किसानों का हमसफर
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
Agrisearch with a human touch

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर
RIGHT TO INFORMATION

भा.कृ.अ.प.-केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान
(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्)
शिमला- 171 001, हि.प्र. (भारत)
ICAR-Central Potato Research Institute
(Indian Council of Agricultural Research)
Shimla 171 001, H.P. (INDIA)

Telephones: 0177-2625073 (O) Fax: 0177-2624460 Email: directorcpri@gmail.com, dircpri@icar.org.in Website: http://cpri.ernet.in

फ.स.18–5 / 2015–16/Unserviceable/ Condemn./भण्डार /

दिनांक: 15.03.2017

सार्वजनिक नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला में दिनांक 29.03.2017 को सुबह 11.30 बजे फर्नीचर / विद्युत / वैज्ञानिक / लैब उपकरणों इत्यादि की नीलामी होनी प्रस्तावित है। नीलाम किये जाने वाले सामान के सम्बध में नियम व शर्ते इस प्रकार से है:–

नीलाम किये जाने वाले सामान के सम्बध में नियम व शर्ते:

1. इच्छुक बोलीदाता स्वयं या अपना एक प्रतिनिधि को नीलामी में भाग लेने के लिए भेज सकते है। टेलीफोन या पत्र द्वारा किसी भी प्रकार की बोली स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि बोली देने वालों की संख्या तीन से कम होगी तो उस स्थिति में निदेशक महोदय के पास यह अधिकार सुरक्षित हैं कि वह नीलामी अगली किसी भी तारीख तक के लिए बढ़ा सकते है।

2. प्रत्येक बोलीदाता को बोली में भाग लेने के लिए 5000 रूपये की धरोहर राशि जमा करवाना अनिवार्य होगी। यह राशि असफल बोलीदाता को बोली समाप्त होने के बाद वापिस कर दी जाएगी। बिना धरोहर राशि के बोलीदाता को बोली मे भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

3. बोलीदाता यदि चाहे तो नीलामी में भाग लेने से पूर्व माल की जांच कर सकते है।

4. अन्तिम बोली देने वाले बोलीदाता को लगाई गई बोली की 25% राशि बयाना के रूप मे मौके पर ही जमा करवानी होगी जबकि माल की बाकी रकम का भुगतान 48 घण्टे के भीतर करना होगा। यदि निर्धारित समय में बकाया रकम जमा न करवाई गई तो उस स्थिति में बयाना के रूप में जमा करवाई गई रकम जब्त करने के साथ–साथ माल की नीलामी दोबारा करवाई जा सकती है।

5. संस्थान के निदेशक महोदय के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह बिना कारण बताए बोली को रदद् कर सकतें हैं। नीलाम किया गया सामान मौके से सात दिनों की भीतर बोली वाले दिन को छोड़कर उठाना होगा अन्यथा उनसे रू.500/- प्रतिदिन के हिसाब से स्थान का किराया देना होगा। सफल बोलीदाता को यह आशवासन देना होगा कि वह संस्थान की अन्य प्रापर्टी का किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा अन्यथा इस प्रकार के नुकसान की भरपाई का वह स्वय जिम्मेवार होगा।

6. बिके हुए माल पर किसी प्रकार का वाद–विवाद या आपति खड़ी होती है तो उस स्थिति में संस्थान के निदेशक का निर्णय अन्तिम माना जाएगा।

15/3/17

प्रशासनिक अधिकारी (भण्डार)